प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बारां थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
प्र0सू0रि0 संख्या ....51/2023........ दिनांक........01/3/2023........
2. (1) अधिनियम व धाराएं– अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(2) अधिनियम..धाराऐं........ ....
(3) अधिनियम..धाराऐं..
(4) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 28.02.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–27.02.2023 समय :– 05.15 पी.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....10........ समय........7:10 pm........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई (लिखित/मौखिक)– लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी– चौकी ए.सी.बी. बारां से करीब 02 कि0मी0 दक्षिण–पश्चिम दिशा।
बीट संख्या..जुरामदेही संख्या..
(ख) पता:– केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां पब्लिक पार्क के सामने कोटा रोड बारां
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री नरेन्द्र मीणा
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री हेमराज मीणा
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 31 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या....................जारी करने की तिथि....................जारी करने का स्थान....................
(च) व्यवसाय – तैल व खल का प्लांट
(छ) पता :– ब्रजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां हाल एच 71 रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बारां
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति कोली उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः – 3,000रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ब्रजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां हाल एच 71 रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बारां ने ब्यूरों कार्यालय बारां मे उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत को पेश किया। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया। परिवादी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने मजमून दरयाप्त पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि " मैं नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री हेमराज मीणा निवासी हाल निवास रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बारां पुर्व में जी0एस0टी0 विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाकर रेलावन में कपडे की दुकान करता था वह दुकान करीब 5 माह पहले बन्द कर दी थी। अब मैं तैल प्लांट लगाकर तैल व खल का व्यापार कर रहा हुं । मेरे जी0एस0टी0 विभाग के रजिस्ट्रेशन में कपडे की जगह तेल व खल का व्यापार इन्द्राज कराने के लिए मैंने करीब 06 दिन पहले ऑनलाईन आवेदन किया था। आज दिनांक 27.02.2023 को जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारी श्री किशनलाल जी का उनके मोबाईल नम्बर 9414939678 से मेरे मोबाईल नम्बर 9461932344 पर कॉल आया और उन्होंने ऑफिस में बुलाया। मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे साथ मेरा तैल प्लांट देखा और मेरा जी0एस0टी0

अमित

प्रमाण पत्र में इन्द्राज सही करने की एवज में किशनलाल जी ने मुझसे 10,000 रू रिश्वत की मांग की। में मेरे जायज काम के लिए जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारी श्री किशनलाल जी को रिश्वत नही देना चाहता हुं और रिश्वत के साथ रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी किशनलाल जी से कोई पुरानी रंजिश/दुश्मनी नही है। ना हि किशनलाल जी मेरे से उधार के रू0 मांगते है। मेरी रिपोर्ट में कार्यवाही करें। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक को अपने चैम्बर में बुलवाया। परिवादी नरेन्द्र मीणा से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अंकन कर सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री नरेन्द्र पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा निवासी ब्रजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किये गये प्रार्थना पत्र व परिवादी को साथ लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा को आरोपी किशनलाल के पास जी0एस0टी0 कार्यालय में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समय 05.40 पीएम पर श्री ईस्माईल हैड कानि0 07 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा चैक किया जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा को चालू व बन्द करने की विधिवत् प्रकिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री किशनलाल के जी0एस0टी0 ऑफिस में मौजूद होना ज्ञात होने पर ब्यूरो कार्यालय के कानि0 श्री लोकेश न0 362 को निगरानी हेतु परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा के साथ उसकी मोटरसाईकिल से जी0एस0टी0 ऑफिस बारां आरोपी श्री किशनलाल के पास आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 06.25 पीएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा व श्री लोकेश कानि0 362 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया मैं व श्री लोकेश जी दोनो मेरी मोटरसाईकिल पर बैठकर जी0एस0टी0 कार्यालय से कुछ दुरी पहले रूके। मैंने श्री लोकेश जी को वहां पर ही मेरे वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही अपनी मोटरसाईकिल से जी0एस0टी0 कार्यालय बारां पहुंचा। श्री लोकेश जी कानि0 जी0एस0टी0 कार्यालय बारां के पहले थोडी दुरी पर खडे रहे। मैंने जी0एस0टी0 कार्यालय बारां पहुचने से पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। आरोपी श्री किशनलाल जी जी0एस0टी0 ऑफिस में मौजूद थे। मैंने अपने काम के सम्बन्ध में उनसे बातचीत की। मेरे पास सामान लाने के लिए दस-बीस के खुल्ले रूपये थे जिनमें से गिनकर मैंने थोडे रूपये एडवांस देने चाहे तो लेने से मना कर दिया और रिश्वत राशि नामाजी को शाम को देने के लिए कहा है। मैंने उनसे अपने काम के सम्बन्ध में बातचीत कर कल की कहकर श्री लोकेश जी के पास आया तथा उनको सारी बात बताई। उसके बाद मैं व लोकेश जी कानि0 रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आ गये। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा बताये गये कथनो की निगरानी हेतु भेजे गये श्री लोकेश कानि0 द्वारा भी परिवादी के कथनो की पुष्टि की गयी। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया है जिससे परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु श्री ईस्माईल हैड कानि0 07 को सुपुर्द किया जाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा को दिनांक 28.02.2023 को प्रातः 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 3000 रूपये की व्यवस्था कर ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। दिनांक 28.02.2023 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जिला बारां के नाम पत्रांक 326 दिनांक 27.02.2023 जारी कर श्री दिनेश कानि0 360 को देकर दिनांक 28.02.2023 को प्रातः 09.00 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द करने हेतु समय 07.00 पीएम पर रवाना किया। समय 07.25 पीएम पर श्री दिनेश कानि0 360 गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां से दो स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 28.02.2023 समय 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाकर हाजिर आया। दिनांक 28.02.2023 को समय 09.00 एएम तलविदा दो स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला पुत्र श्री कैलाश चावला जाति खटीक उम्र 25 साल निवासी संघपुरा पुरानी टोंक जिला टोंक हाल कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड प्रथम बारां मो0न0 7726066051 व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री बालकृष्ण शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 22 साल निवासी ग्राम धौलेटा तह0 नादोती जिला करौली हाल

अनिष

कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितिय बारां मो0न0 7900524008 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये जिनसे मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। दिनांक 28.02.2023 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री किशनलाल आज जी0एस0टी0 ऑफिस बारां में ही रहेगा तथा वह मुझसे पुर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इस पर परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला कनिष्ठ अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड प्रथम बारां व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड द्वितिय बारां का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा का दिनांक 27.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत पढकर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने हेतु साथ रहने की सहमति दी। दिनांक 28.02.2023 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला कनिष्ठ अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड प्रथम बारां व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता सा0नि0वि0 उपखण्ड द्वितिय बारां की मौजूदगी में मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देश देकर श्री ईस्माईल हैड कानि0 07 से मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 27.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री लोकेश कानि0 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया। उक्त वार्ता में आवाज पहचान कर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री किशनलाल की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मन उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री लोकेश कानि0 362 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 28.02.2023 को 11.00 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला, श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष अपने पास से 3000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 सौ के 06 नोट भारतीय मुद्रा के कुल अक्षरे तीन हजार रूपये मात्र मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित करवाया गया। श्री नरेन्द्र कानि0 चालक 530 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की मौजूदगी प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा से लिवाई जाकर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 3,000 रूपयों को परिवादी की पहनी हुई जींस की पेण्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री श्री नरेन्द्र कानि0 चालक 530 से रखवाये गये। इसके बाद एक कॉंच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री नरेन्द्र कानि0 चालक 530 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री नरेन्द्र कानि0 चालक 530 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने–अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। इसके पश्चात परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नही रहने दी गई। इसके पश्चात पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। परिवादी नरेन्द्र मीणा को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी नरेन्द्र मीणा को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप

अनिष

अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गई। दृष्टान्त कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधितो ने अपने अपने हस्थाक्षर किये। दिनांक 28.02.2023 को 11.35 एएम पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा को सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर ऑन करवाकर स्वयं की स्कूटी से आरोपी किशनलाल जी0एस0टी0 अधिकारी के पास जी0एस0टी0 कार्यालय बारां मय श्री लोकेश कानि0 362 के मुनासिब हिदायत कर रवाना कर पीछे पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा मय जाप्ता ईस्माईल अंसारी, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 के सरकारी वाहन चालक श्री दिनेश कानि0 360 के मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित सी0जी0एस0टी0 कार्यालय बारां के लिये रवाना हुआ। रवानाशुदा समय 11.45 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा, मय जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी है0 कानि0 07, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 , मय चालक श्री दिनेश कानि0 360 के मय सरकारी वाहन, लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री सहित रवाना होकर जी0एस0टी0 ऑफिस बारां के सामने पब्लिक पार्क के पास से पहुंचा जहां लोकेश कानि0 उपस्थित मिला जिसने बताया कि परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा मुझे यहां छोडकर जी0एस0टी0 कार्यालय में आरोपी किशनलाल के पास चला गया है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय टीम के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा। समय 11.53 ए0एम0 परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री हेमराज जाति मीणा निवासी ब्रजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कॉल कर बताया कि आरोपी किशनलाल रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व स्वतन्त्र गवाहान के पब्लिक पार्क बारां के सामने स्थित आरोपी के कार्यालय के प्रथम तल पर स्थित कार्यालय में पहुंचा तो परिवादी कार्यालय में बने किचन के पास खडा मिला जिसने किचन के अन्दर खडे एक व्यक्ति जिसने क्रिम कलर की शर्ट तथा ग्रे कलर की पेन्ट पहन रखी थी की तरफ ईशारा करके बताया कि ये ही श्री किशनलालजी जी0एस0टी0 अधिकारी है जिन्होने मुझसे अभी अभी रिश्वत राशि 3,000 रूपये लेकर अखबार में रखवाये थे। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये हुलिये के व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति कोली उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु व सेवा कर रेंज कार्यालय जिला बारां होना बताया इस पर आरोपी किशनलाल से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री नरेन्द्र से ली गई रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री किशनलाल ने बताया कि मैने नरेन्द्र मीणा से कोई रिश्वत राशि नही ली है, मेरे पास रूपये नही है। इस पर सामने खडे परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि इन्होने मेरे से 3000 रूपये अखबार पर रखवाकर अखबार को फोल्ड करवाकर स्वयं की टेबल पर दाहिनी तरफ रखवाये थे इसके बाद मैं आपको कॉल करने सीढियो पर चला गया था और कॉल कर वापस इनके पास आया तो यह किचन में हाथ धौ रहे थे। मैंने इनके कमरे में झांक कर देखा तो जिस अखबार पर मैंने रिश्वत राशि रखी थी वह अखबार इनकी टेबल की बांयी ओर पड़ा था जिस पर कोई रिश्वत राशि नही थी। परिवादी वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः तसल्ली देकर आरोपी श्री किशनलाल से रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि मैंने नरेन्द्र जी द्वारा अखबार पर रखे 3000 रूपये अपने हाथ में लेकर गिने शक होने पर फैंक दिये है फिर बताया कि बाहर नाले में फैंक दिये है। इस पर टीम के सदस्यो से कार्यालय के बाहर मैन रोड़ बारां कोटा व दोनो साईड की गलीयों में तलाश करवाया तो रिश्वत राशि नही मिली। इसके बाद आरोपी श्री किशनलाल को पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो आरोपी ने बताया कि मुझे नरेन्द्र मीणा ने कोई रिश्वत के रूपये नही दिये है। पुनः आरोपी से बार बार पुछने पर भी आरोपी नरेन्द्र मीणा द्वारा रिश्वत राशि नही देने की बात दोहरा रहा है। इस पर आरोपी के हाथ धुलाई की कार्यवाही कार्यालय के हॉल में प्रारम्भ की गई। कार्यालय में रखे पानी के केम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवा कर साफ कॉच के दो गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया गया। दोनों गिलासों के घोल का रंग रंगहीन रहा। इस घोल के एक गिलास में आरोपी श्री किशनलाल के दांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क आरएच–1, आरएच–2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ कॉच के गिलास के घोल में आरोपी श्री किशनलाल कोली के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे साफ कॉच की दो शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर चिट चस्पा कर सील किया गया। शीशीयों पर मार्क एलएच–1 एलएच–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी द्वारा परिवादी से जिस अखबार पर रिश्वत राशि रखवाई थी उस अखबार का धौवन आवश्यक होने से साफ कॉच के एक साफ गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में आरोपी श्री किशनलाल कोली द्वारा परिवादी से रूपये जिस अखबार पर रखवाये उस अखबार के उस स्थान को जहां पर परिवादी ने रिश्वत राशि रखी थी को एक साफ

अनिष

कॉटन के पोहे से अच्छी तरह साफकर (रगड़कर) गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को भी दो साफ कॉच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील कर चिट चस्पा कर मार्क ए–1, ए–2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद अखबार व कॉटन के पोहे को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क–ए अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री किशनलाल की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री कौशल चावला से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की दाहिने जेब में एक मोटोजी कम्पनी का मोबाईल बरंग नीला मिला जिस पर पीछे बीच में एम लिखा हुआ है। उक्त मोबाईल से आरोपी की परिवादी से वार्ता होने से मोबाईल को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। चुकिं आरोपी के दोनो हाथो का धौवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है इसलिए आरोपी श्री किशनलाल को तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे में पुनः पुछा गया तो आरोपी ने अपने पुर्व कथन परिवादी द्वारा रिश्वत राशि नही देने की ताईद की। इस पर आरोपी के कमरे व कार्यालय की तलाशी प्रारम्भ की गई। दौराने तलाशी आरोपी श्री किशनलाल ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी नरेन्द्र मीणा द्वारा मेरे कहने पर अखबार पर रखे 3000 रूपये मैने अखबार से उठाकर गिनकर कार्यालय के कमरे जिसमें संविदा कर्मी रहता है उसमें रखे अखबारो के बीच रखे है। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आरोपी के बताये कमरे में रखे अखबारो की तलाशी लिवाई गई तो अखबारों के बीच से 500–500 रूपये के नोट मिले। जिनको गिनवाया गया तो गवाहान ने पांच पांच सौ के छः नोट कुल 3,000 रूपये होना बताया। दोनो गवाहान से अखबारो के बीच से बरामद रिश्वत राशि का मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन पावडर से किया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट होना पाया गया। बरामद नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है–

क.स	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	2UL771018
2	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	0PA883684
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9FT943914
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1CQ267475
5	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	9DT071977
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	1SW718267

उक्त नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट धौवन नियमानुसार मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 28.02.2023 को समय 04.40 पी0एम0 पर श्री गोपाल कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री नरेन्द्र सिंह चालक कानि0 के कार्यवाही स्थल केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां उपस्थित आये। और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि मैंने आरोपी श्री किशनलाल पुत्र श्रवणलाल उम्र 59 साल का आवासीय मकान 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा में स्थित होने से आरोपी श्री किशनलाल के आवासीय मकान की खाना तलाशी लिवाये जाने बाबत कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक कोटा रेंज श्रीमान समीर कुमार सिंह जी उप महानिरीक्षक अजमेर रेंज को जर्ये मोबाईल निवेदन किया उनके निर्देशन पर एसीबी चौकी कोटा शहर प्रभारी श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरोपी के आवासीय मकान का पुर्ण पता मोबाईल पर वाट्सअप कर खाना तलाशी करवाने हेतु निवेदन किया। इसी दौरान श्री हनुमान सिंह निरीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां भी उपस्थित आया जिससे परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा के कार्य से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां व आरोपी किशनलाल अधीक्षक का सेवा विवरण पेश करने हेतु कहा गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 05.00 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष जर्ये नोटिस श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां को सूचित किया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान दिनांक 27.02.2023 व वक्त रिश्वत लेन देन दिनांक 28.02.2023 को आप द्वारा रिश्वत मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त की गई। सत्यापन वार्ता दिनांक 27.02.2023 व लेनदेन वार्ता दिनांक 28.02.2023 को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त रिकॉर्ड की गई दोनों वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की आवश्यकता है। आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करें।इस पर आरोपी श्री किशनलाल ने फर्द नमूना आवाज नोटीस पर लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा नही करवाना चाहता हूं। फर्द नोटिस नमूना आवाज शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 05.30 पी0एम0 पर इस समय मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाहान श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा व परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा की मौजूदगी में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल तैयार

अनिष

कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 06.10 पी0एम0 पर दिनांक 28.02.2023 को परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा व आरोपी श्री किशनलाल के मध्य हुई वक्त लेन देन वार्ता की जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की गयी थी, रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप मे लिया जाकर स्पीकर चालू कर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा एवं परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा को सुनाया गया। परिवादी ने रिकार्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व एक आवाज आरोपी श्री किशनलाल की होना बताया। उक्त वार्ता की दोनो स्वतन्त्र गवाह व परिवादी की उपस्थिति में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में स्पीकर चालू करके फर्द ट्रांसक्रिप्ट हू ब हू नियमानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में तैयार करवायी जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 28.02.2023 को समय 07.20 पी0एम0 पर श्री हनुमान सिंह निरीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां ने परिवादी नरेन्द्र मीणा के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित कुल 03 प्रतियां पेश की जिन्हे वजह सबूत पत्रावली में शामिल फाईल की दिनांक 28.02.2023 को समय 07.30 पी0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय जिला बारां को अवगत कराया गया कि आप द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा से जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन में कपडे की दुकान की जगह तैल व खल का व्यापार इन्द्राज कराने की एवज में रिश्वत की मांग कर आज नरेन्द्र मीणा से आपने 3000 रूपये प्राप्त किये गये। आपका उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व के तहत दण्डनीय अपराध है। श्री किशनलाल की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने से आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक होने से श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय जिला बारां को गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवेधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री किशनलाल की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार आरोपी की पत्नि श्रीमति बीना को जर्ये मोबाईल नम्बर 9414391998 पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 28.02.2023 को 07.50 पीएम पर श्रीमान गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा व जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 व श्री दिनेश कानि0 व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहनो से मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त किये गये आर्टीकल छः सीलशुदा धौवन की शिशियां, रिश्वत राशि 3000 रूपये का अनसील लिफाफा, अखबार व कॉटन का एक सीलशुदा पैकिट व आरोपी का अनसील मोबाईल सहित सी0जी0एस0टी0 कार्यालय बारां से ब्यूरो कार्यालय बारां के लिये रवाना हुआ। दिनांक 28.02.2023 को समय 08.00 पी0एम0 पर श्रीमान गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व मन् उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा व जाप्ता श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07, श्री उमाशंकर शर्मा है0कानि0 125 व श्री दिनेश कानि0 व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहनो से मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स, ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त किये गये आर्टीकल छः सीलशुदा धौवन की शिशियां, रिश्वत राशि 3000 रूपये का अनसील लिफाफा, अखबार व कॉटन का एक सीलशुदा पैकिट व आरोपी का अनसील मोबाईल सहित सी0जी0एस0टी0 कार्यालय बारां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। जप्तशुदा आर्टीकल छः सीलशुदा धौवन की शिशियां, रिश्वत राशि 3000 रूपये का अनसील लिफाफा, अखबार व कॉटन का एक सीलशुदा पैकिट व आरोपी का अनसील मोबाईल मालखाना प्रभारी श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 को दूरूस्त हालत में संभलाकर जमा मालखाना करवाये गये। दिनांक 28.02.2023 को समय 08.05 पी0एम0 पर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक को तहरीर कमांक 330 दिनांक 28.02.2023 देकर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल का स्वास्थय परीक्षण करवाने हेतु मय चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय वाहन के रवाना किया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 08.50 पी0एम0 पर श्री इस्माईल अंसारी हैड कानि0 07 व श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल का स्वास्थय परीक्षण करवाकर मय चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय वाहन के वापस ब्यूरो कार्यालय आये। आरोपी किशनलाल को जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 11.00 पी0एम0 से 11.10 पी0एम0 पर परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा व आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां के मध्य दिनांक 27.02.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 28.02.2023 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता कुल दो वार्ताएं जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में सेव थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटोप से मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री लोकेश कुमार कानि0 362 से चार पैन ड्राईव में डब करवाई गयी। एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिऐ, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना हेतु कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर कर चिट चस्पा करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई।

अनिष

उक्त आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। दिनांक 28.02.2023 को समय 11.30 पी0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होने से गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक को रात्रि में कोतवाली बारां की हवालात में रखने हेतु कार्यालय पत्रांक 331 दिनांक 28.02.2023 मुर्तिब कर मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री किशनलाल व जाप्ता श्री इस्माईल हैड कानि0 07 व चालक श्री नरेन्द्र कानि0 530 मय सरकारी वाहन से कोतवाली बारां रवाना हुआ। व आरोपी किशनलाल को बारां कोतवाली में सुरक्षार्थ छोडकर वापस दिनांक 28.02.2023 को समय 11.50 पी0एम0 पर वापस ब्यूरो कार्यालय आया। उक्त कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि दिनांक 27.02.2023 को परिवादी श्री नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री हेमराज मीणा निवासी ब्रजनगर तहसील किशनगंज जिला बारां हाल निवास रिको इण्डस्ट्रीज एरिया बारां ने उपस्थित कार्यालय होकर श्री गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं नरेन्द्र मीणा पुर्व में जी0एस0टी0 विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाकर रेलावन में कपडे की दुकान करता था वह दुकान करीब 5 माह पहले बन्द कर दी थी। अब मैं तैल प्लांट लगाकर तैल व खल का व्यापार कर रहा हुं । मेरे जी0एस0टी0 विभाग के रजिस्ट्रेशन में कपडे की जगह तेल व खल का व्यापार इन्द्राज कराने के लिए मैंने करीब 06 दिन पहले ऑनलाईन आवेदन किया था। आज दिनांक 27.02.2023 को जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारी श्री किशनलाल जी का उनके मोबाईल नम्बर 9414939678 से मेरे मोबाईल नम्बर 9461932344 पर कॉल आया और उन्होंने ऑफिस में बुलाया। मैं उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरे साथ मेरा तैल प्लांट देखा और मेरा जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र में इन्द्राज सही करने की एवज में किशनलालजी ने मुझसे 10,000 रू रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज काम के लिए जी0एस0टी0 विभाग के अधिकारी श्री किशनलाल जी को रिश्वत नही देना चाहता हुं और रिश्वत के साथ रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अग्रिम कानूनी कार्यवाही हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन अनिष उप अधीक्षक को सुपुर्द करने पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां ने परिवादी नरेन्द्र मीणा के जायज कार्य जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र में इन्द्राज सही करने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर दिनांक 28.02.2023 को ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 27.02.2023 को ही स्वतन्त्र गवाह श्री कौशल चावला व श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा को पाबन्द करवाया गया। दिनांक 28.02.2023 को स्वतन्त्र गवाह व परिवादी मय रिश्वत राशि के उपस्थित आने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री किशनलाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां द्वारा परिवादी नरेन्द्र मीणा से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 3000 रूपये आरोपी के कार्यालय के कक्ष में रखे अखबारो से बरामद हुई। आरोपी श्री किशनलाल के दोनो हाथो व जिस अखबार पर आरोपी किशनलाल ने परिवादी से रिश्वत राशि रखवाई गई का धौवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिनको वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जे ब्यूरों लिया गया। आरोपी को नमूना आवाज का नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी ने "में मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा नही करवाना चाहता हूं" अंकित किया। उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति कोली उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री किशनलाल को बाद आगाह जूर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी की पत्नि श्रीमति बीना को मोबाईल नम्बर 9414391998 पर दी गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही से श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रवणलाल जाति कोली उम्र 59 साल निवासी म0न0 2एच43 हाउसिंग बोर्ड कोलोनी रंगबाड़ी योजना जिला कोटा हाल अधीक्षक केन्द्रिय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां के विरूद्व जूर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का दण्डनीय होना पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

अनिष

(अनिष अहमद)
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री किशनलाल, अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर रेंज कार्यालय बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 51/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 400-03 दिनांक 01.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आयुक्त, सी.जी.एस.टी., उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

1.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।